विभागीय कार्यकलाप

1—वक़्फ़ सम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना

प्रदेश में वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रबन्धन, सुरक्षा, प्रशासन, विकास हेतु वक़्फ़ अधिनियम—1995 की धारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित सर्वेक्षण किया जाता हैं।

2—वक़्फ़ सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाया जाना

वक़्फ़ सम्पत्तियों पर हुए अवैध कब्ज़ों पर वक़्फ़ एक्ट—1995 के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा—54 व 55 में अवैध कब्ज़े हटाये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। जिसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रदेश के वक़्फ़ बोर्डों द्वारा ज़िला प्रशासन की सहायता से अतिक्रमणों/ अवैध कब्ज़ों को हटवाया जाता है। अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण ज़िला प्रशासन द्वारा हटवा दिये जाते हैं।

3—वक़्फ़ सम्पत्तियों की अवैध बिक्री

वक़्फ़ एक्ट—1995 की धारा—51 के तहत वक़्फ़ सम्पत्तियों का क्रय—विक्रय, उपहार, परिवर्तन, बन्धक आदि अवैध है। प्रदेश के किसी ज़िले में जहॉ कहीं वक़्फ़ सम्पत्तियों की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो उसे जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और अवैध बिक्री के विरूद्ध तत्काल वक़्फ़ अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

4—वक़्फ़ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद

वक़्फ सम्पत्तियों की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों आदि में वक़्फ़ का नाम अंकित कराया जाता है।

5—वक़्फ़ सम्पत्तियों का किराया बढ़वाया जाना

वक़्फ़ सम्पत्तियॉ रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से मुक्त हो चुकी हैं। पुरानी दरों पर किराये पर दी गई वक़्फ़ सम्पत्तियों का किराया बाज़ार दर पर करवाया जाता है। जिसके फलस्वरूप वक़्फ़ की आमदनी में वृद्धि होती रहती है।

6—वक़्फ़ सम्पत्तियों पर वृक्षारोपण

पर्यावरण सुधार के दृष्टिगत वक़्फ़ सम्पत्तियों की खाली भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलवाकर वक़्फ़ सर्वे संगठन इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करता है।

7—वक़्फ़ सम्पत्तियों का सीमांकन

वक़्फ़ सम्पत्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनका सीमांकन / हदबन्दी करवायी जाती रही है और इनका नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है।

8—जन शिकायतों का निस्तारण

वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रबन्धन, प्रशासन, अवैध बिक्री/ कब्ज़ों की जन शिकायतें ज़िला कार्यालय, मुख्यालय व शासन को प्राप्त होती रहती हैं, जिनकी जांच करवाकर निस्तारण किया जाता है।